माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–05.01.2026 को भागलपुर जिलें में आहूत भूमि सुधार जन कल्याण संवाद–सह–समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

जन कल्याण संवाद–सह–समीक्षात्मक बैठक में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना, अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के साथ–साथ जिलाधिकारी, भागलपुर भी उपस्थित थे। उक्त आयोजन–सह– बैठक में अपर समाहर्ता, भागलपुर एवं क्षेत्रीय उप समाहर्ता, जिला राजस्व शाखा, भागलपुर सहित भागलपुर जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी, सभी राजस्व पदाधिकारी, सभी राजस्व कर्मचारी, सभी अंचल अमीन एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम जिला प्रशासन की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य विशिष्ट महानुभावों का स्वागत करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से जन संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपस्थित आम जनता से सीधा संवाद किया गया। इस दौरान उन्होंने जनता द्वारा मिले चुनावी जनादेश के लिए आभार व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के नेतृत्व में विकसित बिहार के निर्माण का संकल्प दोहराया। माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री द्वारा बताया गया कि राज्य में सुशासन की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। अपराध तथा भ्रष्टाचार विशेषकर भू–माफियाओं के खिलाफ सरकार दृढ़तापूर्वक कार्रवाई कर रही है। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बताया गया कि जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निवारण किया जाना है।

भूमि विवादों के निपटारे, भू–माफियाओं पर प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने एवं सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। इस कार्य हेतु विभागीय स्तर से समय–समय पर निदेश/पत्र भी निर्गत किया जा चुका है। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बताया गया कि आगामी 14 जनवरी (मकर संक्रांति) तक इस अभियान को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा भी की जाएगी। माननीय मंत्री महोदय द्वारा अभियान बसेरा के अंतर्गत वासविहीन लाभुकों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराने एवं मकान निर्माण में सहायता प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दुहराते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने में आम जनता से भी अपेक्षित सहयोग देने हेतु अनुरोध किया गया।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि पारदर्शिता, ईमानदारी, जवाबदेही इस संवाद का मुख्य लक्ष्य है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि आमजनों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 01 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल ऑनलाईन (डिजिटल हस्ताक्षरित) उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है एवं इसकी वैधानिक मान्यता भी दी गई है। साथ ही विभागीय नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों पर कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। उनके द्वारा बताया गया कि नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने हेतु अंचलाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। परिमार्जन प्लस में त्वरित निष्पादन हेतु अधिकतम कार्य दिवस निर्धारित किया गया है यथा– लिपिकीय एवं टंकण भूल हेतु 15 कार्य दिवस, खाता, खेसरा, लगान एवं अन्य तकनीकी त्रुटियों के लिए 35 कार्य दिवस एवं विशेष जटिल मामलों में सुधार हेतु अधिकतम 75 कार्य

दिवस निर्धारित की गई है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पारिवारिक बंटवारा में सुधार एवं निष्पादन हेतु विभागीय पोर्टल की शुरूआत की गई है एवं इसके तहत सभी हिस्सेदार को एकीकृत रूप से दाखिल–खारिज किया जा सकेगा। माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में प्रत्येक शनिवार को लगने वाले जनता दरबार अब अंचल में ही लगाए जायेंगे एवं इस हेतु विभागीय निदेश भी निर्गत किया जा चुका है। राजस्व कर्मचारी अब अंचल की बजाय पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, इस हेतु सभी अंचलाधिकारी रोस्टर का निर्माण करेंगे एवं सूचना पट्ट के माध्यम से सूचना देंगें। माननीय मंत्री महोदय द्वारा जोर देकर अवगत कराया गया कि यह भी ज्ञात हुआ है कि कई दस्तावेज के पन्ने फटे होने के कारण कार्य निष्पादन में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होती है, इस हेतु यह बताया गया कि जो भी व्यक्ति इस तरह के दस्तावेज/पन्ना अंचल कार्यालय एवं अन्य विभागीय कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री से प्राप्त अनुमति के आलोक में सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निबंधनकृत आवेदनों में से एक प्रकृति के आवेदन एक अंचल से एवं अन्य प्रकृति के आवेदन अन्य अंचलों से संग्रहित कर उससे संबंधित व्यक्तियों को संबंधित अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मी के समक्ष समाधान करने का प्रयास किया गया एवं सभी उपस्थित व्यक्तियों को यह बताया गया कि आपके सभी आवेदनों पर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकता के आधार पर अंचल का निर्धारण कर सुनवाई का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

सुनवाई के क्रम में पीरपैंती, सबौर, खरीक, कहलगांव, सुलतानगंज, नाथनगर, नवगछिया, नारायणपुर, बिहपुर, शाहकुण्ड, रंगरा चौक, गोराडीह, सन्हौला, गोपालपुर, इस्माईलपुर एवं जगदीशपुर से लगभग 2 से तीन प्रकृति के आवेदनों पर सुनवाई की गई।

सुनवाई के क्रम में पीरपैंती से आवेदक श्री अजय कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि सरकारी जमीन पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है। आवेदक का दावा है कि यह संपत्ति उनकी है एवं कई वर्षों से संबंधित जमीन पर उनका दखल–कब्जा है। अंचलाधिकारी एवं आवेदक से प्राप्त आवेदन के अवलोकन उपरांत बताया गया कि सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराना सुनिश्चित करें।

आवेदक विकास कुमार तिवारी के द्वारा अवगत कराया गया कि पीरपैंती पावर प्लांट हेतु अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 02 मौजा के निवासियों को वर्त्तमान दर से एवं 04 मौजा के निवासियों को पुराने दर पर भुगतान किया जा रहा है, जो अनुचित प्रतीत होता है। उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पुराने नियम एवं दर पर 02 मौजा से संबंधित जमीन का अधिग्रहण किए जाने के कारण भुगतान उसी दर पर किया गया है। निदेशित किया गया कि सभी निवासियों को एक ही दर पर मुआवजा का भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें एवं इस हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजें।

आवेदक श्री धीरज कुमार गुप्ता बताया गया कि उनकी जमीन पर जबरन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दखल किया गया है। निदेशित किया गया कि अंचलाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष मामले को सुनकर निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

सबौर अंचल से आवेदक श्री संजीव कुमार सुमन के द्वारा बताया गया कि जमीन की खरीदगी उनके द्वारा की गई है। अंचल से लगान रसीद आदि उनके पक्ष में निर्गत है परन्तु अन्य व्यक्ति के द्वारा जबरन

दखल कर लिया गया है। उपस्थित अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि तत्क्षण दखल दिलाना सुनिश्चित करें। आवेदक श्री विकास कुमार तिवारी के द्वारा बताया गया कि उनका दाखिल–खारिज अंचलाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। उन्हें सुझाव दिया गया कि विभागीय नियमों के आलोक में उन्हें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए।

खरीक अंचल से आवेदिका गीता देवी के द्वारा बताया गया कि दाखिल–खारिज का आदेश अपर समाहर्त्ता के न्यायालय से उनके पक्ष में पारित है परन्तु अभी तक रसीद निर्गत नहीं किया गया है। उपस्थित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता नवगछिया को निदेशित किया गया कि आगामी 15 दिनों के अंदर उभय पक्ष को सुनकर आदेश पारित करेंगे। आवेदक सुमित कुमार के द्वारा बताया गया कि जिला परिषद् के जमीन से संबंधित डाक उनके पारिवारिक सदस्य के द्वारा लिया गया था परन्तु उनकी मृत्यु हो गयी। वर्त्तमान में उनके द्वारा जमा की गई राशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। निदेशित किया गया कि उप विकास आयुक्त/जिलाधिकारी से मिलकर आवेदन समर्पित करें।

कहलगांव अंचल से श्री कुमोद कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता न्यायालय में उनका वाद लंबित है एवं पिछले 06 माह से कोई तिथि सुनवाई हेतु नहीं दी गई है। उपस्थित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से पृच्छा किए जाने पर बताया गया कि नियमित रूप से तिथि दिया जा रहा है, जो ऑनलाईन भी दिख रहा है, परन्तु आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं। सभी को सूचित किया गया कि किसी भी कार्यालय/न्यायालय में आवेदन देते समय पूर्ण पता एवं मोबाईल संख्या दी दर्ज करें ताकि ससमय सूचना दी जा सके।

आवेदक श्री अरविंद कुमार कुशवाहा के द्वारा बताया गया कि विक्रमशिला खुदाई स्थल के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। बार–बार पृच्छा किए जाने पर उनके द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी समस्या के बारे में जानकारी नहीं दी गई।

सुलतानगंज अंचल से श्री वाल्मी कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के नाम से सुलतानगंज अंचल में 05 एकड़ 03 डि0 जमीन अतिक्रमित है। उपस्थित जिलाधिकारी को सुझाव दिया गया कि परिवादी को बुलाकर स्वयं मामले में उचित कार्रवाई करें।

आवेदक प्रवीण कुमार राय के द्वारा बताया गया कि फर्जी केवाला के आधार पर दाखिल–खारिज करा लिया गया है, जिससे उनकी जमीन प्रभावित हो रही है। उपस्थित अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि स्वयं मामले को सुनकर उचित आदेश पारित करें।

आवेदक वीरेन्द्र प्रसाद राय के द्वारा बताया गया कि उनके वाद में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा पक्ष में आदेश पारित किया गया है परन्तु माप्पी की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिसके कारण जमीन का सीमांकन नहीं हो सका है। इसमें चौहद्दीदार का भी आपत्ति है। उपस्थित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि स्वयं मामले को सुनकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यह भी बताया गया कि यदि इस प्रकार के मामले में मुख्यालय से आदेश की आवश्यकता होगी तो उपलब्ध करा दिया जाएगा।

गोपालपुर अंचल से आवेदक श्री कृष्ण कुमार के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 2021 में जमीन क्रय किया गया एवं दाखिल–खारिज में विक्रेता के द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर आपत्ति दिया गया

एवं दाखिल–खारिज नहीं हो सका। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया एवं विगत दिनों उनके पक्ष में दाखिल–खारिज हो गया है परन्तु दोषी अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई है। आवेदक को सुनिश्चित कराया गया कि दोषी कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य रूप से की जाएगी।

आवेदक श्री ज्योतिष दास के द्वारा बताया गया कि वे पर्चाधारी हैं परन्तु जमीन पर दखल प्राप्त नहीं हुआ है। अंचलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण कार्रवाई करने में परेशानी हो रही है। निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र सुनवाई कर दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

अंचल नाथनगर से मो0 हसनैन अंसारी के द्वारा बताया गया कि नाथनगर अंचल में जलापूर्ति विभाग की जमीन को दूसरे व्यक्ति के नाम से दाखिल–खारिज कर दिया गया है, जो गलत है। उपस्थित अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि संबंधित जमीन रिविजनल सर्वे में रैयती है। फिर भी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

आवेदक सुरेश प्रसाद सुधांशु के द्वारा बताया गया कि उनके जमीन पर विपक्षी के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। आवेदक के द्वारा बताया गया कि विपक्षी के पास कोई कागजात नहीं है। उपस्थित अंचलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस मामले में बार–बार मारपीट हुई है। निदेशित किया गया कि नापी के आधार पर दखल–कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें।

नवगछिया अंचल से श्री प्रेम शंकर कुमार के द्वारा बताया गया कि उनके पास बासगित पर्चा है परन्तु अन्य व्यक्ति के द्वारा संबंधित भूमि पर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। उपस्थित अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि शनिवारीय जनता दरबार में उभय पक्ष को बुलाकर आवश्यक कार्रवाई करें।

श्री बिजेन्द्र कुमार के द्वारा बताया गया कि उनके नाम से रसीद निर्गत है परन्तु जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर दाखिल–खारिज रद्द हो गया है। पृच्छा किए जाने पर अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्वे एवं अन्य अभिलेख नहीं होने के कारण कार्य निष्पादन में समस्या हो रही है। निदेशित किया गया कि अपर समाहर्त्ता स्वयं मामले को देखकर आवश्यक आदेश पारित करें।

नारायणपुर अंचल से आवेदक पंकज कुमार मंडल के द्वारा बताया गया कि उसके रैयती भूमि के सामने रास्ता की भूमि पर पर्चा निर्गत है, जिससें उन्हें अपनी जमीन पर आने–जाने में समस्या है। उपस्थित अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्गत पर्चा की भूमि के अतिरिक्त आवेदक को जमीन पर आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है।

बिहपुर अंचल से आवेदिका पुष्पा देवी के द्वारा बताया गया कि उनके पारिवारिक सदस्य के द्वारा बटवारा से ज्यादा के हिस्से का दाखिल–खारिज करा लिया गया है। आवेदक के द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई है। उपस्थित अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि विभागीय प्रावधान के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

शाहकुण्ड अंचल से श्रीमती कल्पना देवी के द्वारा बताया गया कि विगत एक साल से अधिक अवधि से दाखिल–खारिज आवेदन लंबित है। उपस्थित अंचलाधिकारी शाहकुण्ड से पृच्छा किए जाने पर कोई

स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि स्वयं मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें।

डॉ0 अरविंद कुमार शर्मा के द्वारा बताया गया कि दाखिल–खारिज हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है परन्तु समयावधि बीत जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में भी उपस्थित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि स्वयं मामले की जांच कर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

गोराडीह अंचल से मो0 मंजर आलम के द्वारा बताया गया कि उनके म्यूटेशन आवेदन पर फर्जी केवाला के आधार पर आपत्ति दर्ज किया गया है जिसकी सूचना इन्हें प्राप्त नहीं हो सकी। उपस्थित सभी संबंधित को पुनः अवगत कराया गया कि आवेदन करते समय अपना मोबाईल सं0, नाम एवं पता दर्ज करायें ताकि उस मोबाईल पर ससमय सूचना प्राप्त हो सके। आवेदक के द्वारा दूसरे आवेदन, जो अपर समाहर्त्ता न्यायालय में 891/2024–25 लंबित है, के संबंध में अवगत कराया गया कि विगत एक साल से ज्यादा की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद लंबित है। उपस्थित अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि एक पक्ष के अंदर मामले का निपटारा करना सुनिश्चित करें।

समीक्षात्मक बैठक

सर्वप्रथम प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना, मुख्यालय से आए हुए विभागीय पदाधिकारी, जिलाधिकारी, भागलपुर सहित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि अंचलवार भूमि बैंक का निर्माण किया जाना है। विभाग की प्राथमिकता सूची में यह सर्वोपरि है। साथ ही यह भी बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्र यथा पीरपैंती, कहलगांव आदि में कई उद्योगपति उद्योग लगाए जाने के उद्देश्य से आना चाह रहे हैं, इस हेतु पूर्व से आवश्यक व्यवस्था/कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। सरकारी भूमि के संरक्षण के बिन्दु पर अवगत कराया गया कि वैसे सभी सरकारी भूमि, जो सर्वे में रैयती के रूप में दर्ज हो गए हैं, के रद्दीकरण हेतु नियमानुसार प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

समीक्षा के क्रम में बंदोबस्ती पर्चा वाले भूमि के खरीद–बिक्री के बिन्दु पर जिलाधिकारी, भागलपुर के द्वारा उपस्थित सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी मामलों को चिन्हित करते हुए सब रजिस्ट्रार को संबंधित भूमि के खरीद–बिक्री पर रोक लगाने हेतु पत्र भेजें।

समीक्षात्मक बैठक में मुख्य रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की प्राथमिकता में शामिल बिन्दु जैसे Mutation Defect Check Application status, Avg. Time taken to dispose Mutation application, Online Mutaion में समयावधि के बाद अथवा अत्यधिक समय लेने वाले अंचलों के अंचलाधिकारी यथा इस्माईलपुर, सबौर, नवगछिया, नाथनगर, गोपालपुर को हिदायत दी गई कि अपने कार्यों में सुधार लायें अन्यथा विभाग के स्तर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंचलाधिकारी, इस्माईलपुर को विशेष रूप से निदेशित किया गया अपने रैंकिंग में सुधार लायें अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

इसी प्रकार सबसे न्यून प्रदर्शन करने वाले हल्का राजस्व कर्मचारी यथा परबत्ता (इस्माईलपुर अंचल), चंधेरी (सबौर अंचल), सैदपुर (गोपालपुर अंचल), कजरैली (नाथनगर अंचल) को निदेशित किया गया कि अपने कार्यों में सुधार लायें अन्यथा जल्द ही विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी। इसी प्रकार परिमार्जन

प्लस (डिजिटाईज्ड जमाबंदी) में न्यून अंचल यथा पीरपैंती, इस्माईलपुर, गोराडीह, जगदीशपुर सदर को कार्य में प्रगति लाने हेतु निदेशित किया गया। परिमार्जन प्लस (डिजिटाईज्ड जमाबंदी) में न्यून प्रदर्शन वाले हल्का यथ परबत्ता (इस्माईलपुर अंचल), बंधू जयराम (पीरपैंती अंचल), बाखरपुर पश्चिमी (पीरपैंती अंचल), नगर निगम–2 (जगदीशपुर अंचल) के राजस्व कर्मचारी को यथाशीघ्र कार्य में सुधार लाने हेतु निदेशित किया गया।

समीक्षा के क्रम में ई0मापी में 10 की संख्या से कम कार्य वाले अंचल यथा नवगछिया, शाहकुण्ड, सन्हौला, नारायणपुर, गोपालपुर, गोराडीह, कहलगांव, बिहपुर, इस्माईलपुर, सुलतानगंज, पीरपैंती एवं खरीक को अमीन के कार्य की समीक्षा कर नापी प्रतिवेदन बढ़ाने हेतु निदेशित किया गया। समीक्षा के क्रम में उपस्थित अपर समाहर्त्ता, भागलपुर को न्यायालीय कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया कि आगामी दिनांक–14.01.2026 तक सभी अंचल अपने लंबित सभी मामलों का नियमानुसार निष्पादन करना सुनिश्चित करें। पुनः आगामी समीक्षात्मक बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–05/2026— 245 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक – 19.02.26

E-mail

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/समाहर्त्ता, भागलपुर/अपर समाहर्त्ता, भागलपुर/नगर आयुक्त, भागलपुर/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भागलपुर/सभी अंचल अधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/26

(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–05/2026— 245 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक – 19.02.26

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/26

(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–05/2026— 245 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक – 19.02.26

प्रतिलिपि–माननीय उप मुख्यमंत्री–सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव के आप्त सचिव/कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/26

(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।